इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 अगस्त 2014—श्रावण 24, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2014

अधि. क्र. 2725.—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा, निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना, 2014 मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात् अधिसूचित करता है.

(क) **संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना.**—(1) यह योजना निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना, 2014 कहलाएगी.

(2) यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी.

(3) यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी.

(4) यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अन्तर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक हैं.

(ख) **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 से अभिप्रेत है.

(2) नियम का आशय मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2002.

(3) बोर्ड या मण्डल से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से अभिप्रेत है.

(4) सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है.

(5) निर्माण श्रमिक / कर्मकार से आशय समस्त वैध परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से अभिप्रेत है.

(6) आश्रित से आशय पंजीकृत निर्माण श्रमिक के निम्नानुसार परिवार के सदस्य को आश्रित माना जाएगा :—

(1) पत्नि अथवा पति (यथा स्थिति अनुसार),

(2) अविवाहित पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री,

(3) माता एवं पिता जो जीवनयापन हेतु श्रमिक पर निर्भर हो,

(4) विधवा / तलाकशुदा पुत्री जो जीवनयापन हेतु श्रमिक पर निर्भर हो

(7) इस योजना में परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में, जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं.

(ग) **योजना का विवरण एवं पात्रता.**—अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अन्तर्गत नगरीय निकायों में अन्यत्र से अस्थायी रूप से आये निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिये यह योजना लागू होगी.

1. रैन बसेरे हेतु स्थल का चयन तथा रैन बसेरे की क्षमता के निर्धारण हेतु निम्नानुसार समिति होगी :—

- जिलाध्यक्ष
- नगर निगम आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी
- संबंधित जिले का श्रम अधिकारी.

2. क्षमता का निर्धारण स्थान विशेष की आवश्यकता के दृष्टिगत किया जाएगा. रैन बसेरा की आवश्यकता व क्षमता के निर्धारण के पूर्व उक्त समिति द्वारा यह देखा जाएगा कि प्रश्नाधीन नगर में पूर्व से कोई रैन बसेरा संचालित है या नहीं और यदि पूर्व से संचालित है तो उसकी occupancy का प्रतिशत कितना है? और क्या उसका संचालन सुचारू रूप से हो रहा है?

3. रैन बसेरों का निर्माण, रखरखाव व संचालन संबंधित नगरीय निकायों द्वारा किया जायेगा.

4. रैन बसेरों में महिला एवं पुरुषों के उपयोग हेतु पृथक्-पृथक् 02 डोरमेट्री तथा पृथक-पृथक स्नानागार व शौचालय की व्यवस्था होगी. इसके अतिरिक्त रैन बसेरा के स्टाफ हेतु एक कमरा होगा.

5. संबंधित नगरीय निकाय से उक्त समिति की अनुशंसा सहित प्रस्ताव मण्डल में प्राप्त होने पर मण्डल द्वारा रैन बसेरे की कुल लागत की 100 प्रतिशत राशि दो किश्तों में अनावर्ती व्यय ग्रांट के रूप में दी जायेगी. उपरोक्त राशि का व्यय भवन निर्माण, भवन सुसज्जा, फर्नीचर, अलमारी, पलंग, बिस्तर (रजाई / गद्दे, चादर, ताकि आदि) व लॉकर आदि हेतु किया जा सकेगा.

- अनावर्ती व्यय की राशि मण्डल द्वारा निम्न सीमा में देय होगी :—

(अ) चार महानगरों (भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं जबलपुर हेतु)	—	25 लाख
(ब) अन्य नगर निगमों हेतु	—	20 लाख
(स) नगरपालिकाओं हेतु	—	15 लाख
(द) नगर पंचायतों हेतु	—	10 लाख

(घ) रैन बसेरों के संचालन संधारण व आवर्ती व्यय वहन का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित नगरीय निकाय का होगा. जिसके अन्तर्गत संचालन हेतु अमले की व्यवस्था, संधारण संबंधी कार्य, साफ-सफाई, बिजली, पानी, बिस्तर आदि व्यवस्थाएं तथा रिकार्ड संधारण सम्मिलित होगा.

(ङ) रैन बसेरे का उपयोग निम्न शर्तों के अध्यधीन किया जा सकेगा :—

(i) रैन बसेरा भवन का नाम **''निर्माण श्रमिक रात्रि विश्राम गृह''** स्पष्टतः अंकित किया जाये.

(ii) रैन बसेरों में रात्रि विश्राम हेतु निर्माण श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी.

(iii) निर्माण श्रमिक अथवा उनके आश्रित सदस्य द्वारा एक बार में अधिकतम 7 दिवस तक तथा एक माह में अधिकतम 15 दिवस हेतु रैन बसेरे का उपयोग रात्रि विश्राम हेतु किया जा सकेगा.

(iv) नगरीय निकाय द्वारा रैन बसेरों के उपयोग के संबंध में संधारित रिकार्ड में निर्माण श्रमिक का नाम, पता एवं पंजीयन क्रमांक अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा.

(v) रैन बसेरों का सुचारू रूप से संचालन व संधारण संबधित नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा.

(vi) रैन बसेरा में विश्राम करने वाले निर्माण श्रमिकों की मासिक जानकारी नगरीय निकाय द्वारा जिलास्तरीय श्रम अधिकारी को प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाएगी.

(च) **विसंगति का निवारण.**—योजना में उल्लेखित शर्तों / नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा.

एस. एस. दीक्षित, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.